संख्या-71/2016/2599/33-3-2016-67/2016

प्रेषक

चंचल कुमार तिवारी,

प्रमुख् सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

चन्दौली, सोनभद्र, कासगंज, बंदायू, बरेली, हापुड़, गोरखपुर, मऊ, रामपुर, अमेठी, मैनपुरी, सुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर, मिर्जापुर, महाराजगंज, संतकबीरनगर, मुरादाबाद, वाराणसी, कौशाम्बी उ0प्र0।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ:: दिनांक : 07 अक्टूबर, 2016

विषय: राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के अन्तर्गत पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार वर्ष 2015-16 हेतु पुरस्कृत पंचायतों की धनराशि के उपयोगार्थ जारी मार्ग-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विशयक संयुक्त सचिव, पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ववषासकीय पत्र संख्या:-एन0-11019/811/2015-प्लानिंग, दिनांक 04-09-2015 द्वारा राजीव गॉधी पंचायत सषक्तिकरण अभियान के अन्तर्गत पंचायत सषक्तिकरण पुरस्कार, 2015-16 हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायतों के वर्श 2014-15 के उत्कृश्ट कार्यो के आधार पर नामांकन करने हेतु 100 अंकों वाली सामान्य तथा 20 अंकों वाली 9 विषयगत प्रष्नावलियॉ, पंचायतीराज मंत्रालय की वेब-साइट (www.panchayataward .gov.in) पर इस आशय से उपलब्ध करायी गयी थी कि त्रिस्तरीय पंचायतों द्वारा वर्ष 2014-15 में किये उत्कृष्ट कार्यो के आधार पर पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार वर्ष 2015-16 हेतु ऑन-लाइन नामांकन करेंगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

उक्त के क्रम में कार्यालय ज्ञाप संख्या:-2931/33-3-2015 -153/2015 दिनांक 30 अक्टूबर, 2015 द्वारा समस्त जनपदों को प्रश्नावलियों के माध्यम से पंचायतों के ऑन-लाइन नामांकन करने हेतु निर्देश जारी किये गये। तत्क्रम में जनपद की पंचायतों द्वारा नामांकन कर प्रश्नावलियॉ जनपद स्तरीय पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी को ऑन-लाइन फ्रीज की गयी तथा ऑन-लाइन प्राप्त प्रश्नावलियो का परीक्षण कर जनपद स्तरीय परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी द्वारा स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी को भरी प्रश्नावलियॉ फ्रीज कर ऑन-लाइन उपलब्ध कराई गई।

इस प्रकार ऑन लाइन प्राप्त भरी हुई प्रष्नावलियों का निदेशालय स्तर पर दिनांक 31.12.2015 को परीक्षण कर स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी ने अंको के अवरोही क्रम में, वरीयता क्रम 3:1 के आधार पर 26 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष सर्वोत्कृश्ट अंक वाली 90 (ग्राम पंचायतो के सूची के क्रमांक 86 के बाद कम अंक वाली होने के कारण) ग्राम पंचायतों, 12 क्षेत्र पंचायतों व 06 जिला पंचायतों का चयन कर निदेशालय के आदेश दिनांक 04.01.2016 द्वारा सत्यापन दल का गठन कर उक्त पंचायतों का स्थलीय सत्यापन कराया गया। 108 पंचायतों का स्थलीय सत्यापन कर सत्यापन दल की रिपोर्ट के आधार पर 26 ग्राम पंचायतों, 04 क्षेत्र पंचायतों व 02 जिला पंचायतों का स्टेट पंचायत परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी द्वारा चयन किया गया। उक्त पंचायतों को राष्ट्रीय स्तर पर गठित नेशनल वेरीफिकेशन टीम के द्वारा स्थलीय भ्रमण कर सत्यापित किया गया तथा भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत पंचायतों को प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया गया तथा पुरस्कार की धनराशि को पृथक से निर्गत करने हेतु मौखिक निर्देश दिये गये थे।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के पत्र संख्या-एन-11011/279/2015-Pol-II, दिनांक 06 सितम्बर, 2016 से प्राप्त पुरस्कार की धनराशि कुल रूपये-4,19,00,000/-(रूपये चार करोड़ उन्नीस लाख मात्र) निम्नलिखित रूप से निदेशक, पंचायती राज द्वारा संबंधित पंचायतों को उपलब्ध करायी जायेंगी :-

क्र.सं.	पंचायत का नाम	विकास खण्ड	जनपद	पुरस्कार के रूप में उपलब्ध कराई जा रही धनराशि (लाख) रूपये में
जिला	चंदौली	-	चंदौली	50

http://shasanadesh.up.nic.in

पंचायत	सोनभद्र	-	सोनभद्र	50
क्षेत्र पंचायत	सहावर	सहावर	कासगंज	25
	बिसौली	बिसौली	बंदायू	25
	क्यारा	क्यारा	बरेली	25
	गढ़मुक्तेश्वर	गढ़मुक्तेश्वर	हापुड़	25
ग्राम पंचायत	मुरदेवा बुजुर्ग	खजनी	गोरखपुर	8
	जीवकर	गघहा	गोरखपुर	8
	खत्रीपार	घोसी	मऊ	8
	मनिकपुर असना	घोसी	मऊ	8
	बदराव	बदराव	मऊ	8
	सकरण्डा	मोहम्मदाबाद गोहाना	मऊ	8
	समाहई	जामो	अमेठी	12
	गरथौलिया	शाहगढ़	अमेठी	8
	जैठनिया सारिख	कामरौन	रामपुर	8
	चंदैला	बिलासपुर	रामपुर	8
	अतीकुल्लापुर	करहल	मैनपुरी	8
	हलपुरा	मैनपुरी	मैनपुरी	8
	सैपुर	बाडा गाव	वाराणसी	8
	रामपुर	धनपतगंज	सुल्तानपुर	8
	बसखारी	बसखारी	अम्बेडकरनगर	15
	शिखर	शिखर	मिर्जापुर	8
	महदैया	नौतनिया	महाराजगंज	8
	धौरहा	पउली	संत कबीर नगर	8
	भंगूरा	सेमरियावां	संत कबीर नगर	8
	सेहुरा	सेमरियावां	संत कबीर नगर	8

http://shasanadesh.up.nic.in

	दौलारा	मुंडा पाण्डे	मुरादाबाद	8
	बहदुर नगर	ठाकुरद्वारा	मुरादाबाद	8
	फाराहीमपुर	कारा	कौशाम्बी	8
	बरीयाव	नेवादा	कौशाम्बी	8
	इस्लामाबाद	आलमपुर जाफराबाद	बरेली	8
	लहर	आलमपुर जाफराबाद	बरेली	8
			योग-	419

संबंधित पंचायत द्वारा निम्नलिखित मार्ग-निर्देशों के अनुसार पुरस्कार की धनराशि का माह 10 नवम्बर, 2016 तक उपभोग सुनिश्चित किया जाएगा एवं 15 नवम्बर, 2016 तक निर्धारित रूप पत्र पर जिला पंचायत राज अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतों के माध्यम से निदेशालय को पूर्ण विवरण के साथ निर्धारित रूप पत्र पर उपभोग प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा :-

1. पंचायतों द्वारा धनराशि का उपयोग सार्वजनिक उपयोग/सामुदायिक विकास के कार्यों पर ही किया जाएगा। किसी भी दशा में किसी व्यक्तिगत कार्य पर इस धनराशि का उपयोग नहीं किया जायेगा।
2. संबंधित पंचायत द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी योजना में यदि पंचायत से डवटेलिंग का प्राविधान हो तो उस सीमा तक उक्त धनराशि से व्यय किया जा सकेगा।
3. योजना के अन्तर्गत लिए जाने वाले कार्य/भवन निर्माण आदि पर "राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान प्रोत्साहन योजना 2015-16 के अन्तर्गत प्राप्त पुरस्कार की धनराशि से निर्मित "पुरस्कार की धनराशि रू0-.....कार्य..... पर व्यय रू0-....." अंकित किया जायेगा।
4. यदि किसी ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत सचिवालय हेतु भवन की सुविधा उपलब्ध न हो अथवा ग्राम पंचायत सचिवालय के रूप में कार्य करने हेतु अवस्थापना सुविधाएं अपर्याप्त हों तो इस धनराशि से प्राथमिकता पर पंचायत भवन के निर्माण/अतिरिक्त निर्माण का कार्य किया जा सकेगा। जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायतें भी पुरस्कार की धनराशि का उपयोग उपर्युक्त कार्य पर कर सकेगी। प्राथमिक/अपर विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या को देखते

http://shasanadesh.up.nic.in

हुए यदि किसी अतिरिक्त कक्ष की आवश्यकता हो तो उस पर शिक्षा विभाग की सहमति से एवं कार्य प्रारम्भ पूर्ण होने से अवगत कराते हुए उस धनराशि से निर्माण किया जा सकेगा। इस हेतु बालिका विद्यालयों को वरीयता दी जायेगी।

5. योजनान्तर्गत कार्यों का चयन ग्राम पंचायत के संबंध में ग्राम सभा की बैठक, क्षेत्र पंचायत के संबंध में क्षेत्र पंचायत की बैठक तथा जिला पंचायत के संबंध में जिला पंचायत की बैठक में किया जाएगा।
6. संबंधित पंचायत द्वारा उक्त धनराशि के व्यय हेतु कार्ययोजना कर तैयार कर ग्राम पंचायत व क्षेत्र पंचायत के मामले में जिला पंचायत राज अधिकारी के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जायेगी। जिला पंचायतों के मामले में मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जायेगी। सक्षम स्तर से अनुमोदन/स्वीकृति के उपरान्त सक्षम स्तर से स्वीकृत डिजाइन/लागत आगणनों के आधार पर संबंधित पंचायत द्वारा निर्माण कार्य किया जा सकेगा।
7. संबंधित पंचायत दिनांक 10 अक्टूबर, 2016 तक अपनी कार्य योजना तैयार कर प्रस्तर-6 पर उल्लिखित अधिकारी को प्रस्तुत करेगी, जो संबंधित पंचायत के साथ समन्वय स्थापित करते हुए 15 अक्टूबर, 2016 तक अपनी स्वीकृति निर्माण कार्य हेतु पंचायत को उपलब्ध करायेगी। ग्राम पंचायत व क्षेत्र पंचायत की योजनाओं को मय ग्राम सभा/क्षेत्र पंचायत के प्रस्ताव के साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा तथा जिला पंचायत द्वारा चयनित योजनाओं में जिला पंचायत के प्रस्ताव के साथ अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत द्वारा विलम्बतम् 05 नवम्बर, 2016 तक पंचायती राज निदेशालय को उपलब्ध कराई जाए।
8. कार्य पूर्ण होने पर प्रत्येक पंचायत द्वारा चार्टेड एकाउन्टेन्ट से व्यय विवरण सत्यापित (Authenticated) कराया जाएगा। इस कार्य पर होने वाला व्यय पुरस्कार की धनराशि से वहन किया जा सकेगा। उक्त कार्यवाही करने से पूर्व निर्माण कार्यो के निर्धारित मानक से कराये जाने की भौतिक सत्यापन नामित नोडल से कराकर प्रमाण पत्र संलग्न किया जायेगा।
9. चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा सत्यापित (Authenticated) उपभोग प्रमाण-पत्र तथा कार्य एवं मद वार कराये गये कार्यों/व्यय विवरण उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व संबंधित पंचायत का होगा।
10. प्रस्तर-1 में दिए गये अधिकारियों के द्वारा सम्बन्धित पंचायतों से उपभोग प्रमाण-पत्र तथा कार्य एवं मद वार व्यय विवरण स्वयम् द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

http://shasanadesh.up.nic.in

करते हुए पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को 15 नवम्बर, 2016 तक उपलब्ध कराये जायेंगे।

अतः आपसे अनुरोध है कि संबंधित अधीनस्थ अधिकारियों व पंचायतों को आवश्यक निर्देश देते हुए उपर्युक्त आदेशों का समयबद्ध रूप से पालन कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

संख्या:-2599(1)/33-3/2016-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 लखनऊ।
2. सम्बन्धित मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।
3. सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
4. संबंधित अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उ0प्र0।
5. संबंधित जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
6. संबंधित जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0/अपर मुख्य अधिकारी के माध्यम से संबंधित जिला पंचायत अध्यक्ष/प्रमुख/प्रधान को सूचनार्थ व परिपालनार्थ।
7. उपनिदेशक जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक सूर्यदीप कॉम्पलेक्स, लखनऊ।
8. संबंधित मण्डलायुक्त उक्त योजना के पूर्ण होने के संबंध में सत्यापन प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

आज्ञा से,

(एस0पी0सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in